

हिन्दी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)
HINDI TEACHING SCHEME {EXAMINATION Wing}
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES, M.H.A., NEW DELHI

हिन्दी टंकण परीक्षा:- जनवरी/जुलाई.....200
Hindi Typewriting Examination :- JAN /JULY.200

अंतिम तिथि:- 30 सितम्बर/30 मार्च
Last date:- 30 September/30 march.

आवेदन पत्र
APPLICATION FORM

मैनुअल Regular	इलैक्ट्रानिक Electronic	कम्प्यूटर Computer
नियमित Regular	गहन Intesive	प्राइवेट Private

अनुक्रमांक
Roll No
परीक्षा केन्द्र
EXAMINATION CENTRE

संबंधित कोष्ठक पर V निशान लगाएं
Put V marks on the box applicable.

- पूरा नाम (हिन्दी में)
Full Name [in English Capital letters]
- पिता/पति का नाम (हिन्दी में)
Father's/Husband's Name [in English capital letters].....
- कार्यालय का नाम तथा पूरा पता (हिन्दी में)
Name and full address of the office [in English]

दिनांक.....
Date

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
Applicant's Signature

हिन्दी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)
HINDI TEACHING SCHEME {EXAMINATION}
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGES, M.H.A., NEW DELHI

हिन्दी टंकण परीक्षा:- जनवरी/जुलाई.....200
Hindi Typewriting Examination :- JAN /JULY.200

प्रवेश-पत्र
ADMISSION CARD

मैनुअल Regular	इलेक्ट्रॉनिक Electronic	कम्प्यूटर Computer
नियमित Regular	गहन Intesive	प्राइवेट Private

अनुक्रमांक
Roll No
परीक्षा केन्द्र
EXAMINATION CENTRE

संबंधित कोष्ठक पर / निशान लगाएं
Put marks on the box applicable.

- पूरा नाम (हिन्दी में)
Full Name [in English Capital letters]
- पिता/पति का नाम (हिन्दी में)
Father's/Husband's Name [in English capital letters].....
- कार्यालय का नाम तथा पूरा पता (हिन्दी में)
Name and full address of the office [in English]

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
Applicant's Signature

उप निदेशक (परीक्षा)
Dy. Director [Exam]

नोट:- प्रवेश पत्र मांगने पर परीक्षार्थी को केन्द्र अधीक्षक/प्राधिकृत व्यक्ति को दिखाना है ।
Note:- Examinee must show this admission card on demand to the Centre Supdt./Authorised person.

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....हिन्दी शिक्षण योजना/केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, के नियमित/प्राइवेट/गहन/पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी है। वे परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।

परीक्षा शुल्क रूपएबैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांकद्वारा उप निदेशक (परीक्षा), हिन्दी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के पदनाम से संलग्न हैं।

नोट:-परीक्षा शुल्क सरकारी उपक्रमों/निगमों/निकायों और बैंकों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

Certified that Shri./Shrimathi/Kum.is a Regular/Private/Intensive/Correspondence course examinee of the Hindi Teaching Scheme/Central Hindi Training Institute/Central Hindi Directorate. He/She is eligible to appear for the examination.

Examination Fee of Rs.40 / 50 by way of Draft No.....[Bank.....] dated..... In favour of Dy. Director [Exam.], New Delhi is enclosed.

Note: Examination Fee is compulsory for the employees of Govt. Undertakings / Corporations / Autonomous Bodies and Banks.

Signature:

हस्ताक्षर

सहायक निदेशक (टं./आ.)/अंशकालिक अनुदेशक

Asstt. Director [T/S] Part Time Instructor

(नियमित/गहन/प्राइवेट)

[Regular/Intensive/Private]

सक्षम अधिकारी {मोहर सहित पूरा पता (प्राइवेट) के लिए उपनिदेशक/सर्वकार्य प्रभारी
Asstt. Director [T/S] Part Time Instructor..... अधिकारी के कार्यालय का

पूरा पता (मोहर सहित)

Deputy Director/Officer-in-Overall
Charge [Seal & full address]

तारीख.....200

Date

नोट:- आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक के माध्यम से भेजे।

Note: Application should be duly forwarded through the Regional Deputy Director concerned.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश
INSTRUCTIONS FOR THE EXAMINEES

1. परीक्षा आरंभ होने से 15 मिनट पूर्व परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में उपस्थित होना अनिवार्य है ।
The examinee should be present in the examination hall 15 minutes before the commencement of the examination
2. प्रत्येक परीक्षार्थी को अपनी नोट-बुक, कलम/पेंसिल, रबर, सफेद फ्ल्यूड आदि साथ लाना है ।
Each examinee should bring his/her own note book, pen/pencil, eraser, white fluid etc.
3. ट्रांस्क्रिप्शन के दौरान शब्दकोष के प्रयोग की अनुमति है । अतः जो परीक्षार्थी शब्दकोष का प्रयोग करना चाहें वे अपना शब्दकोष लाएं
During the period of the transcription the use of dictionary is allowed. Therefore those who want to consult a dictionary should bring their own.
4. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी ।
If any examinee is found resorting to adoption of unfair means during the examination, strict action will be taken against him/her as per Rules..